



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-कानपुर-01,

आफिस काप्पलेक्स योजना सं.-1, कल्यानपुर कानपुर

E-Mail- eecdkanpur01@gmail.com



पत्र सं०-७०६५ / S-1 / ०८

दिनांक- १३ -०८ - २०२४

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना(द्वितीय आमंत्रण)

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी टेकेदारों/फर्मों से ई-निविदा, टू-बिड पद्धति में निम्नाकिंत विवरण के अनुसार प्रतिशत आधार पर आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, कानपुर-01, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद आफिस काप्पलेक्स, कल्यानपुर, कानपुर स्थित कार्यालय में निम्न विवरण के अनुसार खोली जाएंगी। कार्यों की मात्राएं बी.ओ.व्यू. के अनुसार होंगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	घरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य समस्त कर सहित (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि(माह)
1	2	3	4	5	6	7
1	सदर बाजार, कानपुर नगर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य।	बी.ओ.व्यू. के अनुसार	रु 21.00	रु 0.42	रु 1500.00 + 18% जी.एस.टी.	04 माह
2	बाबू पुरवा, कानपुर नगर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बाउण्ड्रीवाल, टॉयलेट ब्लाक का निर्माण एवं विद्यालय की मम्मरत/नवीनीकरण का कार्य।	बी.ओ.व्यू. के अनुसार	रु 49.90	रु 1.00	रु 1500.00 + 18% जी.एस.टी.	04 माह

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start	13.08.2024 (4:00 PM)
Document Download End	19.08.2024 (5:00 PM)
Bid Submission Start	13.08.2024 (10:00 AM)
Bid Submission Closing	20.08.2024 (3:00 PM)
Technical Bid Opening	20.08.2024 (3:30 PM)
Financial Bid Opening	To be notified later after evaluation of Technical bid
Pre Bid Meeting	17.08.2024 at EE, CD Kanpur-01 Office Time 2.00 PM

ई-निविदा हेतु :-

अ. निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व घरोहर धनराशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अलग-अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि दि. 20.08.2024 से एक दिन पूर्व दि. 19.08.2024 को सांय 5.00 बजे तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा

पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत है :-

Concerning Division Office :-

Executive Engineer, Construction Division, Kanpur-01
Uttar Pradesh Avas Eevam Vikas Parishad, Kanpur.

Accounts Detail :-

IDBI Bank, R.K. Nagar, Kanpur.
Account No. - 0898102000008235
IFSC Code - IBKL0000898

- ब. निविदा प्रपत्र/घरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर.टी.जी.एस. के यू.टी.आर. नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
- स. निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर तथा उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक टेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक टेकेदार/फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती हैं।
- द. तकनीकी बिड में सफल होने के उपरान्त टेकेदार/फर्म द्वारा फाइनेंशियल बिड खुलने की तिथि एवं समय उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है।

नियम व शर्तेः

1. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी की रसीद/साक्ष प्रस्तुत करने पर ही विल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार विल से कटौती की जाएगी।
2. उ०प्र०० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेवर रोस की कटौती की जायेगी।
3. निविदाओं की बी.ओ.व्यू. में अकिंत कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई वलेम गान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे रथल निरीक्षण कर लें यद्यकि बाद में रथल से सम्बन्धित कोई वलेम गान्य न होगा तथा कार्यरथल में परिवर्तन होने पर उपरोक्तानुसार निविदादाता का परिवर्तित कार्यरथल गान्य होगा।
4. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध ऐतु शारान द्वारा निर्धारित गानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के रैम्प अनुबन्ध ऐतु प्रस्तुत करने होंगे।
5. निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत वैंक से निर्गत एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कानपुर-01, उ०प्र०० आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स कल्यानपुर, कानपुर के पक्ष में बंधक बनाकर जमा करनी होगी।
6. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
7. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
8. निविदादाता/फर्म को जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। कार्य की लागत में जी.एस.टी. सम्मिलित नहीं है। नियमानुसार देयता के आधार पर जी.एस.टी. का भुगतान किया जायेगा। निविदादाता/फर्म के सभी देयकों से कार्य की लागत पर आयकर, लेवर सेस, जी.एस.टी.(टी.डी.एस.), रायल्टी तथा अन्य कर जो भी सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
9. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।
10. शासनादेश के अनुसार डिफेवट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् तीन वर्ष की होगी तथा यह धनराशि कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत धनराशि नगद के रूप में रोकी जायेगी एवं उक्त धनराशि डिफेवट लायबिलिटी अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही अयमुक्त की जायेगी।
11. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराए जाएंगे तथा केवल परिषद में अनुमोदित लेटेस्ट ग्राण्ड/सामग्री का ही प्रयोग किया जायेगा।

12. जी.पी.डब्लू-9 फार्म एवं अल्पकालीन ई-निविदा सूचना अनुबन्ध का डिस्रा होगा एवं उसमे उल्लिखित समर्त शर्तों/नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
13. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने रथायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व रथायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपर्युक्त रूप में देय होगी।
14. शासनादेश संख्या 622 / 23-12-2012-2 ऑडिट / 08 टी.सी.-2 दिनांक 8.6.2012 एवं मुख्य अधियन्ता(ग0), लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-2539 / अगी0अनु0 / परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी / 01 दिनांक 09.08.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में बी.ओ.व्यू की दरों से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कानपुर-01, के पक्ष में बन्धक बनवाकर जमा करनी होगी।
 - अ. 10 प्रतिशत Below तक दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर।
 - ब. 10 प्रतिशत से अधिक Below दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर।
15. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
16. अतिरिक्त जमानत धनराशि/सिक्योरिटी धनराशि सम्बन्धित शासनादेश मे निहित प्रक्रिया के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।
17. बी.ओ.व्यू की दरों मे जी.एस.टी. को छोड़ कर अन्य समर्त कर सम्मिलित है। जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी।
18. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समर्त निविदाएं विना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी व्लेम मान्य न होगा।
19. निविदादाता को प्रत्येक माह के अन्त में अपना विल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. सम्बन्धित विभाग को कार्य हस्तगत कराने की जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य के अन्तिम वीजक का भुगतान प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट निर्गत होने के उपरान्त ही नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।
21. जमानत धनराशि कार्य समाप्त अथवा सम्बन्धित विभाग को हस्तगत की तिथि जो भी बाद मे हो से एक वर्ष उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
22. किसी प्रकार के सर्वर आदि के अकास्मिक रूप से विलम्बित होने के कारण विड अपलोड करना अथवा परिपद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिपद उत्तरदायी नहीं होगा।
23. निविदा की वैद्यता निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 03 माह की होगी जिसके लिये निर्धारित निविदा के साथ रु 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर रु 1.00 का रेवैन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
24. यदि निर्माण कार्य की जाँच में गुणवत्ता -निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिये ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी। जिसकी वसूली नियमानुसार उससे की जायेगी।
25. ठेकेदार/फर्म के लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म ख्याल की जिम्मेदारी होगी।
26. कार्य मे प्रयुक्त सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी वाहरी एजेन्सी से चैकिंग/टेस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयको से की जायेगी।

27. कार्य के विलम्ब होने की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा लगायी गयी पैनाल्टी की वसूली नियमानुसार फर्म/ठेकेदार से की जायेगी।
28. तकनीकी बिड़ के चेक लिस्ट के अनुरूप मांगे गये सभी दस्तावेज को अपलोड करने पर ही दरे मान्य होगी। यदि दस्तावेज सही नहीं पाये जाते हैं तब प्रथम न्यूनतम् दरों पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
29. शासनादेश संख्या-3385-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रॉयल्टी प्रपत्र जमा नहीं करती है तो शासनादेश संख्या-243/86-2016/77 टी.सी.-11 लखनऊ दिनांक 19.01.2016 में उत्तिष्ठित दरों में निर्धारित रॉयल्टी का पाँच गुना ठेकेदार/फर्म के दयेक से वरूली की जायेगी। रॉयल्टी का भुगतान शासनादेश संख्या-1360/86-2020-52(स०)/2019 दिनांक 05.08.2020 के अनुसार सत्यापन कर दैदार होने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
30. वर्तमान में कार्य कर रहे जिन ठेकेदारों के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
31. निर्माण कार्य हेतु मृदुजल की व्यवस्था निविदादाता को स्वय करनी होगी।
32. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई वलेम मान्य नहीं होगा।
33. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वय की जिम्मेदारी होगी परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
34. वायु प्रदूषण एवं स्मैंग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निविदादाता द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एन.जी.टी./टी.आई.एम. की निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार किया जाना होगा।
35. अग्निशमन विभाग से फायर एन.ओ.सी. निर्गत कराते हुए खण्ड कार्यालय में जमा कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी।
36. निर्माण कार्य विलम्ब एवं उसकी गुणवत्ता में यदि कोई कमी/प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
37. कार्य की प्राथमिकता के अनुसार उ०प्र० शासन से समय-समय पर धन अवमुक्त होने के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। फर्म/ठेकेदार द्वारा प्राथमिकता से भिन्न किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
38. फर्म को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्रों का प्राप्त न होने का कोई वलेम मान्य नहीं होगा।
39. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात नियमानुसार लेबर सेस हेतु श्रम विभाग से अनुबन्ध का पंजीकरण कराना होगा।
40. सशर्त अथवा प्रतिबन्धित निविदा मान्य नहीं होगी।
41. निविदा प्रपत्र के साथ ही दैदार चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
42. सम्बन्धित विभाग के साथ परिषद द्वारा किया गया एम.ओ.यू. अनुबन्ध का अविभाज्य भाग होगा तथा एग.ओ.यू. मे निहित समस्त शर्तों/दायित्वों का का अनुपालन फर्म द्वारा किया जाना वाध्यकारी होगा।
43. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार/फर्म को अगले माह के अन्त तक निर्धारित व्युमुलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य है अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई भी वलेम मान्य नहीं होगा।
44. समस्त निर्माण कार्य अनुबन्ध गठित होने की तिथि से 04 माह के उपलब्ध कराये गये बार चार्ट के अनुसार समय सीमा मे पूर्ण न होने पर प्रतिदिन रु 1000.00 का अर्थदण्ड ठेकेदार/फर्म द्वारा विभाग के पक्ष मे देय होगा।

45. निविदादाता द्वारा कार्यस्थल के आस-पास निर्मित इमारतें/भवनों की सुरक्षा सम्बन्धी शपथ-पत्र रु 100.00 नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य होगा।
46. विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत लाइसेन्स धारक व्यक्ति/फर्म से कराये जाने का शपथ-पत्र/प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना होगा।
47. किसी भी विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद-कानपुर नगर होगा।

अतिरिक्त शर्तें:-

- फर्म द्वारा कार्यस्थल पर तकनीकी स्टाफ(डिग्री/डिप्लोमा धारक) की तैनाती अनिवार्य रूप से करनी होगी, जिसका शपथ पत्र भी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न प्रस्तुत करना होगा। सम्बन्धित विभाग द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षणों में तकनीकी स्टाफ की अनुपस्थिति की स्थिति में बीजकों से तकनीकी स्टाफ के मासिक वेतन की कटौती की जायेगी।
- फर्म द्वारा तकनीकी विड के एनेक्जर मे विभिन्न/कार्यालयों मे किये गये/जा रहे(Completed/Runnig) कार्यों की Summary को एनेक्चर की पृथक प्रतियों मे सृजित कर विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षरोपरान्त संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, तदानुसार ही एनेक्चर(विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा निर्गत) अर्हय माना जायेगा।

(प्रतीति विश्वकर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ.सं.

/ उपरोक्त /

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- निदेशक, ग्लोबल कान्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, नीलगिरी काम्पलेक्स, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता-कानपुर, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कानपुर-02/03, उ.प्र. 0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर/इटावा।
- इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद 104, महात्मा गांधी मार्ग को इस आशय से प्रेपित कि उक्त निविदा सूचना को आवास विकास परिषद की वेब साइट में फीड करने का काट करें।
- सहायक अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, निर्माण खण्ड-कानपुर-01, कानपुर।
- सहा. लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/कैशियर/सम्बन्धित अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-कानपुर-01, कानपुर।
- संगणक/नोटिस बोर्ड निर्माण खण्ड-कानपुर-01, कानपुर हेतु।

अधिशासी अभियन्ता